

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस

मि०न० - 149/2023

अनवान :-

1 चन्द्रबोस पुत्र जीत सिंह जाति रायसिख निवासी नाईवाला त० टिब्बी।

वादी


बनाम

1. बंसोबाई पत्नी जीतसिंह जाति रायसिख निवासी नाईवाला त० टिब्बी।
2. सरोज पुत्री जीत सिंह पत्नी तरसेम सिंह जाति रायसिखनिवासी ओझावाली, जोड़की अंधेवाली त० व जिला फाजिल्का।
3. जसवीर कौर पुत्री जीत सिंह पत्नी मंगत सिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड न० 2 गांव व डाकखाना चक 14 एस माझीवाला त० करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. बलजीत कौर पुत्री जीत सिंह पत्नी जरनैल जाति रायसिख निवासी चक 14 एस माझीवाला त० करणपुरा जिला श्रीगंगानगर।
5. चन्नो बाई पुत्री गुलाब सिंह पत्नी दयाल सिंह जाति रायसिख निवासी ओझावाली त० व जिला फाजिल्का।
6. रूपाबाई पुत्री गुलाब सिंह पत्नी चरण सिंह जाति रायसिख निवासी चक 3 एनडीआरए निरवाना त० व जिला श्रीगंगानगर।
7. ज्ञानो बाई पत्नी पूर्ण जाति रायसिख निवासी चक 11 सीडीआर नाईवाला त० टिब्बी।
8. छिन्द्रपाल पुत्र पूर्ण सिंह जाति रायसिख निवासी नाईवाला त० टिब्बी।
9. देवेन्द्रपाल पुत्र पूर्ण सिंह जाति रायसिख निवासी 11 सीडीआर नाईवाला त० टिब्बी।
10. शिल्पा रानी पुत्री पूर्ण सिंह पत्नी मनजीत सिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर त० संगरिया।
11. हरबंस सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति रायसिख निवासी चक 11 सीडीआर नाईवाला त० टिब्बी।
12. श्रीमान तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुखवीर सिंह व वकील प्रतिवादीगण श्री बग्गासिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक रोही मौजा चक 13 सीडीआर के खाता सं० 19/24 के प०न० 211/267 के मु०न० 40 के किला न० 24 की 0.253है० किला न० 25/1 की 0.228है० किला न० 25/2 की 0.025है० गै०मु० कुल 0.506है० नहरी मय गै०मु० खातेदारी में 1/16 हिस्सा कोरबाई पत्नी गुलाब सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में कौरबाई पत्नी गुलाबसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश, वाद-विवाद नहीं होने तथा कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/4/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़